अध्याय - 7

निष्कर्ष एवं सुझाव
समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ॥

ऋग्वेद 10, 191/4

हमारा हृदय, मन और संकल्प एक से हों, जिससे
हमारा संगठन कभी भी न बिगड़े ।
वर्ष 1953 में दीप समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। दूसरी पंचायती योजना में महिलाओं की शिक्षा को प्राधिक करने देने की वात कही गई। छठी पंचायती योजना में महिलाओं के कल्याण से विकास का दृष्टिकोण रखा गया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। सातवीं योजना में उनके आर्थिक, सामाजिक स्तर को उन्नत उदासी के लिए संबंधित विकास कार्यक्रम लागू किये गए। आठवीं पंचायती योजना ने महिलाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसमें वह निर्धारित करना आवश्यक किया गया कि विभिन्न योजनाओं में महिलाओं के साथवातिकरण योजना के 09 प्रमुख उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य नामकरण किया गया। इस योजना का दृष्टिकोण ऐसा वातावरण निर्मित करना था जहाँ महिलाएं पर के अंदर एवं बाहर दोनों स्थानों पर समान भागिदार के रूप में अपने अधिकारों का मुख्य रूप से प्रयोग कर सकें। वर्ष 1995 में इंदिरा महिला योजना कार्यक्रम को स्वयं सिंहा कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया, जिनसे आर्थिक रूप से उन्हें शुद्ध बनाया जा सके। नवीं योजना में 102.4 करोड़ रुपये के परियोजना में से 1/8 गैर सरकारी संगठन के माध्यम से 9375 स्वास्थ्य सेवी समूह का गठन करके 36 करोड़ रुपये खर्च किये गये तथा 87.40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला। दूसरी क्षेत्र में 6.1 लाख महिलाओं को स्वास्थ्य विकास प्रदान किया गया। इन दोनों प्रक्रिया को अर्थव्यवस्थित सामाजिक, घरी बनाना, बांध करना, सशक्तिकरण कार्य में प्रशिक्षण देना, आशिर्वाद का राज व अन्य शिक्षित महिलाओं के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया गया। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में कार्यान्वयन की गई विकासात्मक नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का प्रभाव महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन निर्माणता, अभिव्यक्ति, भेदभाव जैसी समस्याएं एवं भौगोलिक भी मौजूद हैं। लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों में वर्ष 2001 में 933 महिलाएं थी। यह महिलाओं के प्रति भेदभाव और उनके प्रति दर्ज का दृष्टिकोण स्थायी है। महिला साक्षात्ता में वृद्धि हुई है परंतु महिला–पुरुष साक्षात्ता का अंतर 20% से अधिक बना हुआ है। संगठित क्षेत्र में विषय 20 वर्षों में महिला सेवा़यों में केवल 05% वृद्धि हुई है। पंचायती संस्थाओं में वर्ष 2000–2001 में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 26% था। अखिल भारतीय सेवा परिषदें में महिलाओं की प्रतिभागिता 8% दर्ज की

(298)
गई है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8.5% जबकि केन्द्रीय मंत्रीमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का 11% है।

उपरोक्त तथ्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि पुरुष एवं महिला भागीदारी असमानता विद्यमान है। इसको हल करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही एवं दूसरे इष्टिक्ष शक्ति राजनीतिक दलों को दिखानी होगी।

सहकारिता का आभारी साथ मिलकर काम करने से है। प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार विकास के अंतर्गत प्रारंभिक चरणों में समाज कल्याण का आदर्श धार्मिक एवं नैतिक विचार से जुड़ा था, बाद में इसे आर्थिक आन्दोलन से जोड़ा गया। भारत में सहकार शक्ति साथ सहकार भागीदारी के प्रमुख चौकोट रहे हैं। बच्चों से भारतीय किसान इन पूंजीपतियों के ज्ञान प्रसारण के शिकार रहे हैं।

महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए की गई। सहकारिता का क्षेत्र ही भारत में उसकी समन्वयादी संरचना एवं सबों साथ लेकर चलने की ऐतिहासिक परम्परा से जन्मा है। सहकारिता के क्षेत्र में आजकल के बाद जवाब देना क्रांति हुई और महिलाओं ने धीरे-धीरे इस आन्दोलन में सहभागी होना प्रारंभ किया था। आज भी महिलाएं सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं एवं भारत की अनेक सहकारी संस्थाएं महिलाओं के द्वारा सुचारू रूप से संचालित है तथा भारत का गोरखण्ड कर रही है। यथा - लिप्युज्ज फाउंडेशन महाराष्ट्र की सहकारी समिति। बैंकिंग के क्षेत्र में भी महिलाओं की पृथक की आवश्यकता ने महिला नागरिक सहकारी बैंक जैसी समितियों को जन्म दिया। छत्तीसगढ़ में सहकारी आन्दोलन राष्ट्रवादी स्थानीय अर्जित कर दुकान है तथा देश की बड़ी-बड़ी सहकारी संस्था सहकारिता के माध्यम से बढ़ रही है। नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें पृथक से महिला नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में आधारभूती दी। जिसका परिणाम है कि प्रेष बढ़े बैंक महिलाओं के स्वामन नेतृत्व में चल रहे है।

वर्तुळ: सहकारिता के समन्वयादी और विकासवादी विचार का जन्म तो महिलाओं के स्वामन, समस्त एवं निष्ठा से हुआ है जो सहकारी क्षेत्र के उपक्रम को ऐसे चलाती रही हैं जैसे घर परिवार को चला रही है।
शोध प्रविधि :-

अध्यापक विषय से संबंधित सामग्रियों, सर्वकथा तथा सहायक सूचनाओं का एकीकरण, अध्ययनकी मूल आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध प्रविधि में छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत 05 महिला नागरिक सहकारी बैंक का तुर्म राजनांदगांव क्षेत्रीय प्रांमण बैंक से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्रस्तावित बैंक निम्नानुसार है :–

1. लख्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक, मयादित, रायपुर
2. इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक, मयादित, रायपुर
3. प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, मयादित, मिलाई
4. विलास महिला नागरिक सहकारी बैंक, मयादित, विलासपुर
5. महिला नागरिक सहकारी बैंक, मयादित, महासभुन्द
6. तुर्म राजनांदगांव क्षेत्रीय प्रांमण बैंक

विषय की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसिंह प्रविधियों अपनाई गई –

(अ) तथ्यों का संकलन एवं उपयोग –

शोध विषय के लिए आवश्यक तथ्यों, सूचनाओं एवं दृष्टियों सर्वकथा का संकलन किया गया है। परिषद के प्रस्ताव को तार्किक विश्लेषण तथा कस्टोर अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान कार्य को निष्ठा तक पहुंचाने के लिए तथ्यों की गहन विवेचना, अधिकारियों कर्मचारियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर की गई है।

(ब) प्रश्नावली का निर्माण :-

सूचनाओं के विचित्र संकलन हेतु प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। प्रश्नावली के निर्माण में विषय से संबंधित सभी पक्षों को समान महत्त्व दिया गया है, जिससे सत्यापन द्वारा उद्धि निष्ठा निकाले जा सके।
(स) वर्गीकरण एवं सारणीयन :-

प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों द्वारा एकत्रित सूचना को विश्लेषण हेतु वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है।

(द) सांख्यिकीय विधि द्वारा विश्लेषण : –

वर्गीकरण सारणीयन के पश्चात् शोध विषय के विश्लेषण के लिए आवश्यक सांख्यिकीय विधियाँ का प्रयोग कर निष्पक्ष निकाले गये हैं।

(इ) गणितीय विश्लेषण :-

शोध प्रवंच को प्रभावशाली बनाने के लिए गणितीय विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

(फ) लेखांकन विश्लेषण :-

महिला नागरिक सहकारी बैंक की आर्थिक सुस्थिति की जानकारी हेतु लेखांकन तकनीक का प्रयोग किया गया है। अनुपात विश्लेषण के द्वारा महिला नागरिक सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विशिष्ट दशा ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित जानकारी ज्ञात की जाएगी –

1. बैंकों की जना राशि का विश्लेषण करना।

2. ऊर्जा एवं अधिम की राशि का विश्लेषण

3. बैंक की स्थायित्व कोष का विश्लेषण

5. बैंकों की लाभदायकता का विश्लेषण

6. बैंकों की कार्यक्षमता पर विश्लेषण

7. बैंकों की गर्म निपटाव सम्पत्ति एवं वस्तुली दर का विश्लेषण

8. महिला नागरिक सहकारी बैंक का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से तुलनात्मक अध्ययन

शोध विषय का समृद्धित विश्लेषण करने हेतु शोध विषय को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है।

(301)
प्रथम अध्याय

प्रथम अध्याय में विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की प्रगति, सहकारिता आन्दोलन की जानकारी, अध्ययन का उद्देश्य तथा शोध प्रविधि को दिखाया गया है।

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय में बैंकिंग प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्देश्य तथा बैंकों के कार्य पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय

तृतीय अध्याय में छत्तीसगढ़ राज्य के महिला नागरिक सहकारी बैंक की लाभदायकता, कार्यशील पूंजी, सदस्य संख्या, अमानत, ऋण अतिम्न एवं महिलाओं को ऋण वितरण का विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थ मार्गार

इस अध्याय में बैंकों के विल प्राप्ति के स्रोत तथा उसके उपयोग का विश्लेषण किया गया है एवं निष्पादन संस्करण को विश्लेषित किया गया है।

पंचम अध्याय

इस अध्याय में बैंक की कार्यक्षमता का विश्लेषण किया गया है, इसके लिए जमा में वृद्धि दर, अतिम्न में वृद्धि दर, प्राथमिक एवं कमजोर वर्ग के लोगों को दिये गये ऋण अनुपात, लाभदायकता अनुपात तथा वसूली क्षमता अनुपात के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

षष्ठम अध्याय

इस अध्याय में महिला नागरिक सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय प्रांमीण बैंक की वसूली क्षमता एवं अन्यक व्यवस्थापितों का विश्लेषण किया गया है।

सप्तम अध्याय

इस अध्याय में निष्पक्ष एवं सुझाव दिया गया है।

(302)
प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मयादित मिलाई की स्थापना वर्ष 1995 में हुई 10 वर्ष की अत्यावधि में अभिमृत्त, सादगी, पितायता एवं इमानदारी के कारण यह बैंक अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफल हुआ है। इस ग्रोथराइजेशन के दौरान में आर्थिक गतिविधियों में दिन-प्रतिदिन जुड़ने वाली मुनीसूची हो रही है। स्वच्छ प्रशासन हेतु रिजर्व बैंक की नीतियाँ अत्यंत तीव्र एवं त्वरित हो रही हैं। इस प्रतिस्पर्धा की कड़ी चुनावी पर यह बैंक खरा साक्षर हो रहा है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने निर्धारणों पर इस बैंक को ग्रेड-1 का दर्जा प्रदान किया है। इस बैंक ने यह साक्षर कर दिया है कि महिलाएं सहकारिता के माध्यम से महिलाओं का विकास उत्कृष्टता से कर सकती है। बैंक ने सुनामी पीड़ितों के लिए 11,000/- रुपये सुख्यमंत्री सहायता कोष में दान देकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है।


लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर

छत्तीसगढ़ की पहली महिला बैंक लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मयादित रायपुर ने 22 अगस्त 1994 को अपना कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभिक वर्ष से गत वर्ष तक बैंक को निरन्तर लाभ प्राप्त होते रहा है, जो बैंक की सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था एवं आर्थिक नीति को प्रदर्शित करती है। वर्ष 1997-1998

(303)
इंदिरा प्रयासदिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर

इंदिरा प्रयासदिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर की स्थापना 15 मई 1995 को हुई। वर्ष 2000-2001 में इसकी सदस्य संख्या 2529 थी जो वर्ष 2003-2004 में बढ़कर 3444 हो गई। अंशपूंजी की राशि में भी निरन्तर वृद्धि प्रदर्शित है। वर्ष 2000-2001 में अंश पूंजी 36.97 लाख रुपये थी जो 21.9% बढ़कर वर्ष 2003-2004 में 35.10 लाख रुपये हो गई। बैंक की जमा राशि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। किसत अध्ययन अवधि के दौरान जमा राशि में दुगुनी वृद्धि प्रदर्शित है। बैंक का मुख्य कार्य आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को ऋण प्रदान करना है, उन्हें पर्यावरण व्यवसाय, अन्य व्यवसाय, मकान निर्माण, लघु उद्योग एवं उपभोक्ता ऋण प्रदान किये जाते हैं। अध्ययन अवधि के दौरान न दिये गये ऋण की राशि क्रमशः 426.86, 601.93, 716.17 तथा 845.35 लाख रुपये थी। वर्ष 2003-2004 में 58% प्राथमिक क्षेत्र में एवं 42% पर्यायवाची क्षेत्र हेतु ऋण दिया गया। बैंक ने शासन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च 2004 में बैंक ने सब्जी एवं फल वेचने वाली महिलाओं के हिस्से को ध्यान में रखते हुए 5 नवीन योजनाएं प्रारंभ की जिसके अंतर्गत परीक्षण महिलाओं को जो आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं कमजोर हैं, उन्हें आसान शरीर पर 6000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। इस पर व्याप 10% प्रतिवर्ष लगाया जाता है। महिलाएं प्रतिदिन 20 रुपये जना कर सकती हैं। बैंक की कार्यशील पूंजी वर्ष 2001-2002 में 1828.94 लाख रुपये थी, जो वर्ष 2003-
विलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक बिलासपुर :-

बैंक की प्रगति यात्रा स्थापना के उपरान्त लगातार चल रही है। विलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक बिलासपुर की एक मात्र कम्प्यूटर एवं वातानुकूलित बैंक है। निर्मित महिलाओं की आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु सहायता एवं सुधार बैंक द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बैंक की स्थापना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ सदस्यों में परिवर्तन एवं स्वाभाविक की भावना जागृत करना है। महिला नागरिक सहकारी बैंक के गठन से महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक उन्नति हेतु निःसंकोच चर्चा कर सकती है एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक मार्गदर्शन के साथ अनुप्रयोग, माध्यमकालीन एवं दीर्घकालिन ऋण लेकर अत्यधिक का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार प्रधान समाज में महिलाओं का सामाजिक उत्साह एवं आर्थिक रूप से उन्हें प्रभाव करना है बैंक का लक्ष्य रहा है। वर्ष 2000-2001 में सदस्य संख्या 2664 थी जो वर्ष 2002-2003 में घटकर 2480 हो गयी है। अंशपूंजी वर्ष 1999-2000 में 19.30 लाख रुपये थी 38.2% बढ़कर वर्ष 2003-2004 में 26.68 लाख रुपये हो गयी। अंशपूंजी में औसत वृद्धि दर 6.69% रही। वर्ष 1999-2000 में अमानत की राशि 341.48 लाख रुपये थी जो वर्ष 2003-2004 में बढ़कर दुगुनी हो गई है। वर्ष 2002-2003 में अमानत की राशि में 5.48% की कमी हुई है। इस प्रकार अमानत की राशि में 36.03% की वृद्धि, वर्ष 2003-2004 में हुई है। अध्ययन अवधि के दौरान ऋण अधिक की राशि क्रमशः 207.09 लाख रुपये, 243.77 लाख रुपये, 313.47 लाख रुपये, 284.30 लाख रुपये तथा तथा 349.46 लाख रुपये रही। ऋण अधिक राशि में कुल वृद्धि दर 68.74% हो रही जबकि औसत वृद्धि दर 11.03% रही। बैंक की लाभदायकता को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 1999-2000, वर्ष 2000-2001 में लाभ की राशि 0.26 लाख रुपये थी जो वर्ष 2001-2002 में बढ़कर 1.84 लाख रुपये हो गई। आगामी दो वर्षों में बैंक को हानि उठानी पड़ी है।
महिला नागरिक सहकारी बैंक न्यायित महासमुन्द्र :-

महिला नागरिक सहकारी बैंक न्यायित महासमुद्र ने वर्ष 1998 में रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करके जून 1998 से कार्य प्रारंभ किया। बैंक का संकल्प था कि इसी भी महिला
सदस्यों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करना। बैंक
की सदस्य संख्या 1999-2000 में 1180 थी जो वर्ष 2002-2003 में 1473 हो गयी।
अंशपूजी में भी उत्साहपूर्वक वृद्धि प्रदर्शित है। अध्ययन अवधि के दौरान अंश पूजी की राशि 6.80, 7.86,
7.6 लाख रुपये तथा 10.32 लाख रुपये दर्ज की गई है। बैंक की कुल जमा राशि 1999-2000 में
46.05 लाख रुपये थी जो वर्ष 2002-2003 में 27.8% बढ़कर 174.66 लाख रुपये हो गयी, उसी
प्रकार ऊर्जा वितरण की राशि में 145% वृद्धि प्रदर्शित है। विभाग चार वर्षों में कार्यशील पूजी की राशि
क्रमशः 91.59 लाख रुपये, 129.49 लाख रुपये, 199.55 लाख रुपये तथा 256.74 लाख रुपये दर्ज
की गई। अध्ययन अवधि के दौरान बैंक का लाभ क्रमशः 0.78 लाख रुपये, 1.12 लाख रुपये, 1.18
लाख रुपये तथा 3.78 लाख रुपये रहा। स्पष्ट है वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2003-2004 की
लाभदायकता में तीगुनी से अधिक वृद्धि हुई है।

वित्त प्राप्ति के स्रोत एवं वित्त के उपयोग

प्रस्तुत शोध प्रबंध में वित्त प्राप्ति के स्रोत एवं वित्त के उपयोग का विश्लेषण किया गया है। प्रगति
महिला नागरिक सहकारी बैंक न्यायित मिलाई में वित्त प्राप्ति के स्रोत में जमा कोष की राशि औसतन
93% पाए गयी। प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मिलाई को ब्याज के रूप में औसतन 95% आय
प्राप्त हुई है जबकि बैंक की गैर ब्याज आय औसतन 5% थी। बैंक ने ऊर्जा वितरण एवं विनियमों में क्रमशः
47.4 %, 46.2 % तथा 55.3% निधि का उपयोग किया है। बैंक ने अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज पर
व्यय औसतन 90% किया है जबकि गैर ब्याज की राशि 10% रही।

इंदिरा प्रीतमदशिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर में ग्राहक जमा का औसत 93% रहा। बैंक
ने वित्त प्राप्ति के लिए अन्य संस्थाओं से कोई ऊर्जा नहीं लिया जिससे उसे ऊर्जा पर ब्याज चुकाना नहीं
पड़ रहा है। ऊर्जा, दुर्ग, व्यवसाय, लघु दुस्संपर्क, माहौल ऊर्जा, मकान निर्माण, नौकरी, व्यवसायी, जमा
विरुद्ध ऊर्जा कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रदान करती है। अध्ययन अवधि के दौरान ऊर्जा मात्रा में उत्साहपूरक
वृद्धि बैंक की आर्थिक गुणवत्ता एवं कुशलता को प्रदर्शित करता है। इस बैंक को ऊर्जा से प्राप्त ब्याज
औसत 52.35 % है एवं विनियमों पर प्राप्त ब्याज औसतन 37.8% है। स्पष्ट है कि बैंक ऊर्जा पर एवं
बिनियमों से प्राप्त ब्याज कुल आय का 90.15% है। ब्याज की प्रमुख मद्दत में प्रमुख मद जमा पर किया
गया ब्याज है। गैर ब्याज की मद्दत में बेतन, यात्रा भत्ता, बैंक का किराया, बीमा, विद्युत ब्याज, समाशोधन

(306)
व्याव, तेलीफोन व्याव, डाक टार एवं मुद्रांक लेखन सामग्री, कापूनी व्याव आदि हैं। अध्ययन अवधि के दौरान जमा पर दिये गये व्याज का औसत 65.35% रहा जबकि गैर व्याज व्याव 30% रहा। वर्ष 2002-2003 में गैर व्याज व्याव अधिकतम होने के कारण लाभ की राशि न्यूनतम रही।

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक रामपुर की जना राशि में अध्ययन अवधि के दौरान पांच गुणी वृद्धि हुई। बैंकिंग कंपनी के निधि के उपयोग में ऊँचा अधिग्रह का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक केवल महिलाओं को ऊँचा प्रदान करती है। यह बैंक महिलाओं को ऊँचा व्यवसाय, उद्योग, मकान निर्माण, कृषि, पशुपालन, उपभोक्ता ऊँचा एवं शिक्षा हेतु ऊँचा प्रदान करती है।

ऊँचा अधिग्रह की राशि अध्ययन अवधि के दौरान बढ़कर चार गुणी हो गयी है। लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक अग्रणी के रूप में बैंक को प्राप्त होने वाले स्रोत का प्रमुख हिस्सा है। अध्ययन अवधि के दौरान बैंक को ऊँचा पर आय का प्रतिशत क्रमशः 48.5, 50.3, 47.3, 44.6 तथा 35.8% रहा। विनियोग से प्राप्त आय का औसत 38.12% रहा। अध्ययन अवधि के दौरान प्राप्त व्याज में दुनिया वृद्धि हुई जबकि विनियोग से प्राप्त होने वाली आय तथा अन्य आय बढ़कर लगे गयी। दिया गया व्याज, स्थापना व्याव तथा अन्य व्यावों में उत्तरार्द्ध वृद्धि प्रदर्शित है। विनियोग पांच वर्ष में दिये गये व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी है। वर्ष 2002-2003 में स्थापना व्याव की राशि अधिकतम है। इसी कारण वर्ष के लाभ में कमी आयी है।

विलास महिला नागरिक सहकारी बैंक, विलासपुर के विनियोग के स्रोत में अंश पूँजी, संचाय कोष, बैंक में जमा राशि तथा अन्य संस्थाओं से उधार आदि है। अध्ययन अवधि में निधि के स्रोत से जमा औसतन 82.5% था। विलास महिला नागरिक सहकारी बैंक ने किसी अन्य संस्थान से विनियोग पांच वर्ष में उधार नहीं किया। वर्ष 2002-2003 में अध्ययन अवधि में विनियोग से विनियोग से विनियोग से प्राप्त व्याज में दुनिया वृद्धि हुई जबकि विनियोग से प्राप्त होने वाली आय तथा अन्य आय बढ़कर लगे गयी। दिया गया व्याज, स्थापना व्याव तथा अन्य व्यावों में उत्तरार्द्ध वृद्धि प्रदर्शित है। विनियोग पांच वर्ष में दिये गये व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी है। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी। बैंक की राशि अधिग्रह के दौरान ऊँचा अधिग्रह से प्राप्त व्याज की राशि बढ़कर लगे गयी।
दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक

वित्त प्राप्ति का प्रमुख स्रोत बैंक को प्राप्त होने वाली जमा राशि है। अध्ययन अवधि के दौरान जमा राशि का निर्माण क्रमशः 100, 122.2, 147.3, 161.1 तथा 174.1% रहा। अध्ययन अवधि के दौरान वित्त पांच वर्षों में चालू खाते की राशि में 34.7% वृद्धि हुई जबकि बचत खाते की राशि बढ़कर दुगनी हो गयी तथा स्थायी जमा खाते में 32.9% की वृद्धि हुई है। दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण अधिम के रूप में वित्त का उपयोग अधिकता 47% करती है जबकि बैंक के विनियोग का प्रतिशत 16 पाया गया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक ने अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 77.9%, 75.2%, 69.5%, 64.8% तथा 65.7% ऋण प्रदान किया। गर्म प्राथमिक क्षेत्र में बैंक द्वारा दिये गये ऋण का औसत 30% रहा। जमा साधा अनुपात में कभी प्रदर्शित है। जमा साधा अनुपात में वृद्धि करने के लिए बैंक ने अधिक दरों में कटोरी की है। कुछ लगभग ऋण योजनाओं जैसे कृषकों ने हेतु दुर्गहिया बाहन योजना, भूप्राप्ती कृषकों को भूमि क्रय हेतु ऋण सुविधा, लघु उद्योगी योजना लाइंग की गई। बैंक के संबंध क्षेत्रों में आर्थिक मंदी एवं अफात के कारण अधिम में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण सारे जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी।

महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुद्र

वर्ष 1999-2000 से अंशपूंजी की राशि 6.79 लाख रुपये थी जो बढ़कर 51.98% बढ़कर वर्ष 2002-2003 में 10.32 लाख रुपये हो गई। अध्ययन अवधि के दौरान अभावित पांतों में हिस्से वृद्धि प्रदर्शित है। वित्त प्राप्ति का कुल खाता वर्ष 1999-000 में 56.50 लाख रुपये था जो वर्ष 2002-2003 में बढ़कर चुकाना हो गया। समन आकार विश्लेषण से स्पष्ट है, वित्त प्राप्ति का प्रमुख खोट अभावित है। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-2003 के दौरान इस खोट क्रमशः 81.5%, 84.4%, 85.9% तथा 87.5% राशि प्राप्त की गई। वित्त प्राप्ति का प्रमुख खोट अंश पूंजी से प्राप्त राशि है, जो अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 12%, 8.6%, 6.8% तथा 5.2% दर की गई।

महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुद्र बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता एवं साधारण खाता के माध्यम से जमा स्वीकार है। बचत खाता एवं साधारण खाता की जमा राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित है। वर्ष 1999-2000 में बचत खाते की राशि 27.44 लाख रुपये। इस राशि में अध्ययन अवधि के दौरान 65.66 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है। वर्ष 1999-2000 में साधारण जमा खाते की राशि में चार गुना वृद्धि प्रदर्शित है। चालू खाते एवं आवर्ती खाता की राशि में अध्ययन अवधि के दौरान 14.85 लाख रुपये तथा 5.98 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है।

समन आकार विश्लेषण से स्पष्ट है औसतन 58% राशि बचत खाता से, 31% राशि साधारण खाता से तथा शेष 11% राशि चालू खाता एवं आवर्ती जमा से प्राप्त होती है।

(308)
बैंक के ऋण वितरण की राशि वित्त 4 वर्षों में क्रमशः 15.70 लाख रुपये, 31.75 लाख रुपये, 45.27 लाख रुपये तथा 64.65 लाख रुपये थी। अध्ययन अवधि के दौरान बैंक के ऋण अधिम की राशि बढ़कर चौगुनी हो गई। वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान बैंक के ज्ञान जमा की जाने वाली राशि में 2.5 गुनी वृद्धि राशि प्रदर्शित है। बैंक को राशि अन्य बैंक में जमा करने की अपेक्षा ऋण-अधिम में वृद्धि कर अधिक लाभ कमाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में बैंक ने सरकारी प्रतिभूति क्रमशः 7.50 लाख रुपये तथा 8.16 लाख रुपये विनियोग किया।

समान अकांक विश्लेषण से स्पष्ट है कि बैंक के दौरान का प्रमुख उपयोग ऋण वितरण एवं अन्य बैंक में जमा करने हेतु उपयोग किया गया। अध्ययन अवधि के दौरान बैंक में औसत 60% अन्य बैंक में जमा किया तथा 32% भाग ऋण प्रदान करने किया गया तथा शेष 8% अन्य मदों में उपयोग किया गया।

सदर्शों की आवश्यकतानुसार, भारतीय रिजर्भ बैंक एवं सहकारिता विभाग के निर्देशों के अनुरूप व्यापार, मकान निर्माण एवं विस्तार लघु उद्योग, घरेलू उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण वितरण किया जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान परम्परागत क्षेत्र ऋण क्रमशः 21%, 8%, 16% तथा 20% प्रदान किया गया जबकि प्राथमिक क्षेत्र में ऋण का प्रतिशत 78%, 91%, 84% तथा 79% रहा। गृह निर्माण के लिए दिये गये ऋण की राशि में अध्ययन अवधि के दौरान 9.59 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है, जबकि व्यवसाय के लिए दिये गये एवं उपभोक्ता ऋण में क्रमशः 7.76 लाख रुपये तथा 16.69 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है।

निष्पादन संक्षेपक

दुर्ग राजनान्दगांव ग्रामीण बैंक

वर्ष 2000-2001 में जमा साधक अनुपात की राशि 32% थी, जो वर्ष 2003-2004 में घटकर 22% रह गयी। वर्ष 2003-2004 में इसमें थोड़ी और वृद्धि हुई तथा यह 23.3% पर जा पहुँची। अधिमों के अनुपात में जमा राशि में वृद्धि दर अधिक होना तथा अधिमों की वसूली में वृद्धि के कारण जमा साधक अनुपात में कम हो गयी है। जमा साधक अनुपात में वृद्धि करने के लिए बैंक ने अधिम दरों में कटोरी की है।

कुछ नई ऋण योजनाओं जैसे कक्षाओं हेतु दुनिया वाहन योजना, भूमिकीय कक्षाओं को भूमि क्रय हेतु ऋण सुविधा तथा लघु उद्यमी योजना लागू की गई। बैंक के क्षेत्रों में साधक मंडल कार के कारण ऋण अधिम में वृद्धि नहीं हुई, इस कारण से साधक जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी।

संचालन व्यय एवं व्याज से आय के अनुपात को संचालन व्यय अनुपात कहते हैं। प्राप्त व्याज का औसतन 26.74 प्रतिशत भाग संचालन व्यय हेतु प्रयोग किया गया है।

वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2003–2004 तक बढ़ते हुए क्रम में शून्य लाभ प्रदर्शित है तथा वर्ष 2004–2005 के शून्य लाभ में कमी आई है। स्वामित्व कोष पर प्रत्यावर्ष वर्ष 2003–2004 तक बढ़ते क्रम में अर्थात 5.78 %, 14.7 %, 15.33 % एवं 18.8 % प्रदर्शित है। जबकि वर्ष 2004–2005 में यह प्रत्यावर्ष 8.3 % रही।


अध्ययन अवधि के दौरान ऋण अधिम पर प्राप्त व्याज का 65.45, 63.27, 63.62, 62.92 तथा 60.68% भाग व्याज देने में व्यय किया जाता है। विगत पांच वर्षों में प्राप्त राशि का औसतन 63% भाग व्याज देने में व्यय किया जाता है तथा शेष 37% भाग गैर व्याज व्ययों में प्रयोग किया जाता है।

दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक में अध्ययन अवधि के दौरान आंतरिक स्रोत से विगत पांच वर्षों में कोष की व्यवस्था क्रमशः 11%, 09%, 08%, 07% तथा 06 % की गई है। बाह्य स्रोत से प्राप्त कोष क्रमशः 89%, 91%, 92%, 93%, तथा 94% है। बाह्य स्रोत से प्राप्त कोष का औसत 92% रहा जबकि आंतरिक स्रोत का औसत 8% रहा।

इंदिरा प्रीयदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक, रायपुर


संचालन अनुपात बैंक की लाभदायकता एवं कार्यकुशलता को बताता है। बैंक संचालन अनुपात को कम करके लाभ को बढ़ाने का प्रयास करती है। यह अनुपात जितना कम होगा बैंक की कार्यकुशलता उतनी ही अधिक होगी। संचालन अनुपात 9.02 प्रतिशत से 27.08 प्रतिशत अध्ययन अवधि के दौरान पाया गया। यह वर्ष 2002–2003 में न्यूनतम तथा 1999–2000 में अधिकतम है। अध्ययन अवधि के
दीर्घारण कोष प्रयोगलाभात अनुपात 64.54 प्रतिशत से 83.26 प्रतिशत के बीच परिवर्तित हो रहा है। यह अनुपात 1999-2000 वर्ष में सबसे अधिक था। वर्ष 2002-2003 में सबसे कम रहा है। ऋण क्षमता अनुपात बाह्य दायित्व एवं आंतरिक दायित्व (पूंजी+संचय) का अनुपात है। यह अनुपात वर्ष 2002-2003 में अपने चमोलिकर हर अर्थतः सबसे अधिक है तथा वर्ष 2001-2002 में यह अपनी निम्नतम सीमा में है। स्पष्ट है कि बैंक बाह्य दायित्व पर अधिक निर्भर है।

संचालन व्यय अनुपात बैंक के पैर ब्याज आय तथा ब्याज से आय का अनुपात होता है। सभी बैंक ब्याज से आय में वृद्धि कर, संचालन व्यय को कम करने का प्रयास करती है, जिससे बैंक की लाभदायकता में वृद्धि हो सके। बैंक के ने 26 जून 1998 से कार्य प्रारंभ किया। इसलिए वर्ष 1998-99 में संचालन व्यय प्राप्त व्याज का दुनिया है। इसी कारण इस वर्ष बैंक को 0.87 लाख की हानि उठानी पड़ी। वर्ष 1999-2000 में संचालन व्यय प्राप्त व्याज का 65% है, फिर भी बैंक को 1.19 लाख रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि दीये गये व्याज की राशि कम है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 में संचालन व्यय में कमी प्रदर्शित है।

स्वामित्व कोष, अंश पूंजी तथा संचय का योग दीर्घकालिन बाह्य ऋण के अनुपात को व्यक्त करता है। वर्ष 1998-1999 में बाह्य ऋण का 39.97% अंश पूंजी है। स्वामित्व के प्रारंभ के वर्षों में बैंक बाह्य ऋण प्राप्त नहीं कर पायी है, उसके पश्चात बैंक के वर्षों में बाह्य ऋण का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। यह क्रमशः 85%, 90%, 88% तथा 89% पाया गया है। स्पष्ट है बैंक बाह्य कोष पर अधिक निर्भर है।

स्वामित्व कोष अनुपात न्यूनतम है और इस वर्ष बैंक को अध्ययन अवधि के दीर्घारण अधिकतम लाभ 3.25 लाख रुपये प्राप्त हुआ है।

जमा पर दिया गया व्याज, दीये गये ऋण एवं अधिग्रह पर प्राप्त व्याज के अनुपात को कोष उपयोग लागत अनुपात कहते हैं। वर्ष 1998-99 में यह कम दर्ज किया गया है क्योंकि यह बैंक के प्रारंभ की अवस्था है। वर्ष 1998-1999 से वर्ष 2002-2003 तक क्रमशः 46.10%, 41.28%, 46.58% तथा 47.25% दर्ज किया गया। वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के दीर्घारण इसका विस्तार 6.47 तथा विस्तार गुणांक 0.07 रहा।

(311)
विलासा नागरिक सहकारी बैंक मयादित, विलासपुर

विलासा नागरिक सहकारी बैंक के 100 रुपये के उदार की लागत, 100 रुपये के ऋण की लागत तथा स्वामित्व कोष पर प्रत्याय को वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 के दौरान व्यक्त किया गया। उदार की लागत वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 अध्ययन अवधि के दौरान अधिकतम 6.11% एवं वर्ष 2002-2003 के दौरान 11.04% तथा न्यूनतम वर्ष 1999-2000 के दौरान 0% के दौरान दर्ज की गई। अध्ययन अवधि के दौरान उदार की औसत लागत 7.76% रही। स्वामित्व कोष पर प्रत्याय वर्ष 2003-2004 में अधिकतम 7.08 प्रतिशत रही। वर्ष 2002-2003 में विलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक को हानि उठानी पड़ी। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 में स्वामित्व कोष पर प्रत्याय 1% रही।

विलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक की विशेष आकलन के लिए संचालन अनुपात, कोष प्रयोग अनुपात तथा ऋण अनुपात का प्रयोग किया गया है। संचालन अनुपात से आश्चर्य, बैंक के संचालन व्यय तथा बैंक को प्राप्त व्याज से आय के अनुपात से है। अध्ययन अवधि के दौरान यह औसत 42% पाया गया। बैंक प्राप्त तथा आय देते हैं तथा बैंकों को ऑपरेटिंग पर व्याज प्राप्त होता है। इन दोनों के अनुपातों को कोष प्रयोग अनुपात कहते हैं। अध्ययन अवधि के दौरान बैंक को प्राप्त व्याज 50.92%, 60.06%, 69.74%, 73.33%, तथा 59.64% व्याज के रूप में दिया। स्वामित्व कोष (अंशांशपूर्ण तथा संयुक्त कोष का योग) तथा बाह्य ऋण का अनुपात ऋण समय कोष अनुपात कहलाता है। अध्ययन अवधि के द्वारा स्वामित्व कोष 8%, 11%, 15%, 10% तथा 9% दर्ज किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि बैंक बाह्य ऋण पर निर्भर है।

प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मयादित मिलाई

प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मिलाई के विगत 3 वर्षों में ऋण अग्रिम की लागत ऋण अग्रिम की प्रयोग लागत तथा स्वामित्व कोष के प्रतिशत आय को प्रदर्शित करता है। 100 रुपये के ऋण प्राप्ति की लागत तीन अनुवस्थाय वर्षों में 8.27%, 7.24% तथा 5.56% दर्ज की गई। दिये गये 100 रुपये ऋण की लागत वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान क्रमशः 2.73%, 3.65% तथा 3.35% रही। विगत तीन वर्षों में स्वामित्व कोष पर प्रत्याय क्रमशः 14.95%, 24% तथा 32.38% रहा। स्वामित्व कोष पर प्रत्याय वर्ष 2003-2004 में अधिकतम रहा। इसीलिए प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक की वर्ष 2003-2004 में सर्वाधिक लाभ 32.06 लाख रुपये लाभ हुआ।

(312)
वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 तथा 2003–2004 के दौरान संचालन अनुपात क्रमशः 12.63%, 121.7% तथा 0.09% रहा। कोष प्रयोग अनुपात जना पर दिये गये ब्याज तथा ऋण अधिम पर ब्याज के अनुपात का व्यक्त करता है। वर्ष 2001–2002 के दौरान दिये गये ब्याज की शारी, प्राप्त ब्याज की शारी से 21.7% अधिक रही है जबकि वर्ष 2002–2003 में प्राप्त ब्याज 1/10 भाग ब्याज के रूप में व्यक्त किया गया। तीन अनुदत्तीय वर्षों में स्वामित्व कोष, दीर्घकालिन कोष का क्रमशः 9%, 21% तथा 19% रहा। अर्थात् औसतन 84% राशि बाह्य कोष से प्राप्त की गई।

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक, रायपुर

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक, रायपुर की 100 रुपये के उधार की लागत का विस्तार 2.15, तथा विस्तार गुणांक 0.20 है। अध्ययन अवधि के दौरान 100 रुपये के ऋण की प्रबंध लागत क्रमशः 14.01%, 12.36%, 13.15%, 24.66% तथा 13.25% रही है। ऋण की प्रबंध लागत वर्ष 2002–2003 में अधिकतम 24.06% रही तथा वर्ष 2000–2001 के दौरान न्यूटन 12.36% रही। विगत 5 वर्षों के दौरान 100 रु. के स्वामित्व कोष पर प्रत्याय 32.49%, 30.33%, 40.16%, 37.15% तथा 41.2 दर्ज किया गया है, जो बैंक की चुनौति विश्वसनीय नीति को प्रदर्शित करता है।

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक का वित्तीय आकलन किया गया है। वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–2004 के दौरान संचालन अनुपात, कोष प्रयोग लागत अनुपात तथा ऋण समता कोष के अनुपात का व्यक्त किया गया है। संचालन अनुपात विस्तार 5.28 तथा विस्तार गुणांक 0.07 रहा, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि संचालन अनुपात में विचरणशीलता कम है।

कोष प्रयोग अनुपात विगत 5 वर्षों में 57.91%, 60.89%, 55.17%, 56.68% तथा 49.14% रहा। विश्लेषण से स्पष्ट है प्राप्त ब्याज लघुमान 1/2 भाग ब्याज देने में खर्च होता है। ऋण समता कोष, आंतरिक दायित्व (पुंजी व संचय) तथा बाह्य दायित्व (जना कोष) के अनुपात को व्यक्त करता है। अध्ययन अवधि के दौरान स्वामित्व कोष की दीर्घकालिन कोष से अनुपात क्रमशः 0.06, 0.05, 0.07, 0.05 तथा 0.05 रहा, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि बैंक बाह्य कोष पर अधिक निर्भर है।

महिला नागरिक सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संचय एवं कोष

18.00 लाख रुपये, 2.00 लाख रुपये तथा 8.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है। महिला नागरिक सहकारी बैंक ने अशोक्य ऊंचाई के लिए अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 0.03 लाख रुपये, 0.11 लाख रुपये, 0.62 लाख रुपये तथा 1.56 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक का वर्ष 1997-98 में 3.00 लाख रुपये का प्रावधान था जो वर्ष 2003-2004 में 6.53 लाख रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक भी लाभांश मंडळ ने अध्ययन फंड, बोनस खाता, अंकेक्षण के लिए प्रावधान किया है।

विलास महिला नागरिक सहकारी बैंक विलासपुर ने कार्यालय व्याज संचय, अवमन क्षमताएं संचय, मानक संपत्ति संचय के लिए प्रावधान किया है।

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक ने भवन निगम, वाहन निगम, दर्माधिक निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, ज्योति एवं केश में मदद के लिए प्रावधान किया है।

महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुद्र ने बचत फंड, भवन फंड तथा लाभांश क्षेत्र के लिए प्रावधान किया है।

संचय कोष :-

लाभ-हानि खाते में आयोजन कर राशि संचय कोष खाते में अंतरित की जाती है। सभी बैंकिंग कम्पनियों को लाभांश घोषित करने के पूर्व का 20% वेतनांक संचय कोष में अंतरित की जाती है। वेतनांक संचय कोष स्थिति विवरण में दायित्व पाश्र्य की ओर संचय एवं कोष अंतरित दर्शाया जाता है। विलास महिला नागरिक सहकारी बैंक की वर्ष 1999-2000 में वेतनांक संचय कोष की राशि 0.66 लाख रुपये थी, जो वर्ष 2003-2004 में 1.85 लाख रुपये हो गई। वर्ष 2002-2003 की तुलना में 146.67% वृद्धि प्रदर्शित है। लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर के वेतनांक संचय 4.25 लाख रुपये थी जो वर्ष 2003-2004 में 233.34% बढ़कर 14.17 लाख रुपये दर्ज की गई। इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक की वेतनांक संचय कोष की राशि वर्ष 1999-2000 में 1.51 लाख रुपये थी जो वर्ष 2003-2004 में बढ़कर 6 गुनी हो गई।

महिला नागरिक सहकारी बैंक का प्रमुख कार्य ऊंचाई प्रदान करना है। इसके लिए बैंक दूसरे सूचना ऊंचाई के लिए वेतनांक कार्यक्रम का प्रावधान करता है, जिसके कारण बैंकों को हानि उठानी पड़ती है, इसके लिए बैंक दूसरे सूचना ऊंचाई का प्रावधान करता है, और इसे लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में घटाया जाता है। सभी महिला
नागरिक सहकारी बैंकों ने जुटत ऋण का प्रामाण्य किया है। प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मिलाई ने वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में क्रमशः 2.76 लाख रुपये, 8.00 लाख रुपये तथा 15.00 लाख रुपये का प्रामाण्य किया।

इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक ने रक्षित निधि एवं संदिश ऋण संचय के अतिरिक्त भवन निधि तथा एन.पी.ए. के लिए प्रामाण्य किया है।

उत्पादकता विश्लेषण

बैंकिंग उद्योग के संबंध में परिचालन आय में प्रतिशत परिवर्तन का परिचालन लागत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को उत्पादकता कहते हैं। बैंक व्यवसाय में अधिक लागत कम उत्पादकता को प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत कम लागत अधिक उत्पादकता का परिचालन बनाती है। अनगढ़ी के अनुसार किसी परिचालन लागत में प्रतिशत परिवर्तन एवं आय में प्रतिशत परिवर्तन के संबंध समानुपातिक है। यदि परिचालन लागत में प्रतिशत परिवर्तन परिचालन आय में प्रतिशत से अधिक है तो प्रति इकाई का आय लागत बढ़ती है। उसी प्रकार परिचालन लागत में प्रतिशत वृद्धि परिचालन आय में प्रतिशत परिवर्तन से कम है तो आय आय दृष्टि में लागत बढ़ती है। पहली स्थिति में बैंक की लाभदायकता कम होगी तथा दूसरी स्थिति में लाभदायकता बढ़ेगी।

बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक, बिलासपुर

बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक का सार्वजनिक गैर सार्वजनिक जना अनुपात अध्ययन अवधि के दौरान क्रमांक: 0.31, 0.38, 0.53, 0.60 तथा 0.68 रहा। सार्वजनिक जना राशि में मिलगा पांच वर्षों में 146% वृद्धि हुई जबकि गैर सार्वजनिक जना में 158% वृद्धि हुई है। जना सार्वजनिक अनुपात इस वर्ष को पूरब करता है कि जना राशि का क्रमांक भाग सार्वजनिक रूप में वितरित किया गया। जना सार्वजनिक अनुपात वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 के दौरान 1.65, 1.60, 1.51, 1.56 तथा 1.73 रहा। स्पष्ट है बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक ने प्राप्त जना राशि का 62% भाग सार्वजनिक रूप में प्रदान किया। अध्ययन अवधि के दौरान जना पूंजी अनुपात 17.69, 18.6, 21.63, 19.98 तथा 25.49 दर्ज किया गया। उसी प्रकार जना शुद्ध सम्पत्ति अनुपात वर्ष 2001-2002 में न्यूनतम, जबकि वर्ष 2003-2004 में अधिकतम दर्ज किया गया।

अध्ययन अवधि के दौरान अंशपूंजी का औसत 12.84 गुणा भाग ऋण वितरण पर किया गया।

सार्वजनिक रूप सम्पत्ति अनुपात वर्ष 2003-2004 में अधिकतम एवं वर्ष 2001-2002 में न्यूनतम दर्ज किया गया।

(315)
इस हेतु शुद्ध लाभ अनुपात, लाभ में वृद्धि दर अनुपात, समता प्रत्याय, संचालन लाभ अनुपात सम्पत्ति पर संचालन आय अनुपात, ब्याज से आय का अनुपात, विनियोग से आय अनुपात की गणना की गई है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में लाभ में वृद्धि दर क्रमशः 1.71%, 1.2 %, 39.35% तथा 38.25% रही। औसत सम्पत्ति संचालन आय 1.1% रहा। ब्याज से आय का अनुपात 81% दर्ज किया गया। विनियोग से आय वर्ष 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 में क्रमशः 19.38% तथा 25.9% दर्ज की गई।

प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, मर्यादित, मिलाई

प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित मिलाई के उपादकता विशेषण हेतु जमा में वृद्धि दर को विशेषता किया गया है। इस बैंक की सावधानी एवं गैर सावधान जमा अनुपात वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में क्रमशः 2.69, 2.55, 1.89 तथा 2.5 थी। प्रति खाता जमा राशि 0.88 लाख रुपये, 0.08 लाख रुपये, 0.75 लाख रुपये तथा 0.09 लाख रुपये दर्ज की गई। अध्ययन अवधि के दौरान जमा सावधान अनुपात क्रमशः 3.8, 3.4, 3.3 तथा 3.7 पाया गया, जो स्पष्ट करता है, प्राप्त जमा राशि 28%, मात्र ओगो हितितरण किया गया। वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में जमा पूंजी अनुपात 21.7, 23.1, 21.1, 26.2 दर्ज किया गया। जबकि जमा का शुद्ध सम्पत्ति से अनुपात वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 में 14.6, 12.3 तथा 13.29 था।

परम्परागत ओगो एवं प्राथमिक क्षेत्र को दिये गये ओगो का अनुपात क्रमशः 1.74, 2.18, 2.86 तथा 1.77 था। कुल ओगो में की राशि को औसतन 67.5 प्रतिशत भाग परम्परागत क्षेत्र में ओगो प्रदान किया जबकि प्राथमिक क्षेत्र में प्रदान किये गये ओगो की राशि 32.5 प्रतिशत थी। प्रति खाता सावधान की राशि क्रमशः 0.13 लाख रुपये, 0.11 लाख रुपये, 0.10 लाख रुपये तथा 0.11 लाख रुपये थी। सावधान पूंजी अनुपात एवं सावधान शुद्ध सम्पत्ति अनुपात बढ़ते क्रम में प्रदर्शित है।

कृषि क्षेत्र को दिये गये ओगो का प्राथमिक क्षेत्र अनुपात को विशेषता किया गया है। प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक अन्य महिला नागरिक सहकारी बैंक की तरह निर्धार महिलाओं को ओगो प्रदान करती है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में कृषि क्षेत्र में प्रदान किया गया ओगो का औसत 3% था। प्रति लेनदार सावधान अनुपात 0.37, 0.29, 0.36, 0.37 लाख रुपये दर्ज किया गया।

लाभदायकता विशेषण करने हेतु शुद्ध लाभ अनुपात, समता प्रत्याय अनुपात, संचालन लाभ अनुपात, ब्याज की आय दर, ब्याज की आय से संचालन आय अनुपात, विनियोग से आय, अग्रिम पर आय अनुपात ज्ञात किया गया।

(316)
शुद्ध लाभ अनुपात अनुवर्तीय वर्षों में क्रमशः 10 %, 18%, तथा 24 % दर्ज किया गया। समता प्रत्यय अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 14%, 16%, 31%, 78.02 % तथा 70.01% रहा। संचालन आय से व्याज का अनुपात 53.5%, 55.62 % तथा 57.46% रहा। व्याज की आय दर अनुवर्तीय वर्षों में 65.67%, 78.02 % तथा 70.01% रहा। संचालन आय से व्याज का अनुपात 53.5%, 55.62 % तथा 57.46% दर्ज किया गया। कुल आय से विनियोग से आय अनुवर्तीय वर्षों में 1.07%, 18.48% तथा 3.88% पाया गया। अधिकतम पर आय की दर क्रमशः 13.3%, 13.01%, 11.66% प्रदर्शित है।

स्थापना के प्रथम वर्षों में बैंक का लाभ 2.32 लाख रुपये वर्ष 2003-2004 में यह 16 गुनी बढ़कर 32.06 लाख रुपये हो गई। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने निरीक्षणों के दौरान इस बैंक को ग्रेड-1 का दर्जा प्रदान किया है। इस बैंक ने यह साबित कर दिया है कि महिलाओं का विकास उत्कृष्टता से कर सकती है।

महिला नागरिक सहकारी बैंक, महासंगठन महासंगठन

महिला नागरिक सहकारी बैंक महासंगठन महासंगठन ने वर्ष 1998 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करके जून 1998 से कार्य प्रारंभ किया। बैंक का संकल्प है कि किसी भी महिला सदस्यों की आधिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नयन के लिए अधिक से अधिक और प्रदान करना है।

साथदी जमा में अध्ययन अवधि के दौरान 2.5 गुनी वृद्धि प्रदर्शित है। जबकि गैर साथदी जमा में तिगुनी वृद्धि प्रदर्शित है। अध्ययन अवधि के दौरान जमा राशि का औसत 28.7 प्रतिशत साथ रुप में वितरित किया जाता है। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-2003 के दौरान जमा पूंजी अनुपात क्रमशः 6.77, 9.6, 13.27 तथा 16.92 दर्ज किया गया। जबकि जमा शुद्ध सम्पत्ति अनुपात 6.08, 5.98, 7.15 तथा 7.52 रहा।

महिला नागरिक सहकारी बैंक महासंगठन महासंगठन प्राथमिक क्षेत्र में अनुवर्तीय वर्षों में 91%, 84% तथा 79% और प्रदान किया तथा परस्परस्थल क्षेत्र में क्रमशः 78%, 91%, 89% तथा 79% और प्रदान किया तथा गैर परस्परस्थल क्षेत्र में क्रमशः 21%, 08%, 11% तथा 20% और प्रदान किया है। साथ-यूंजी अनुपात में उत्पादन वृद्धि प्रदर्शित है। साथयुग विगत क्रमशः घटते क्रम में प्रदर्शित है।

वसूली क्षमता अनुपात अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 98%, 72 %, 86% तथा 72 % दर्ज किया गया। बैंक का अध्ययन अवधि के दौरान औसत वसूली दर 82% रहा जो बैंक की कुशल वसूली नीति को प्रदर्शित करती है।

अध्ययन अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अनुपात क्रमशः 10%, 8%, 7% तथा 16% प्रदर्शित है। लाभ में वृद्धि दर वर्ष 2002-2003 में अधिकतम 37.46% दर्ज की गई। समता प्रत्यय वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान अनुवर्तीय वर्षों में 9.64%, 12.4 %, 7.25% तथा
16.3% रहा जबकि सम्पत्ति पर संचालन आय अनुपात औसत 24.68 % प्रदर्शित है। व्याज का संचालन आय से अनुपात अनुवर्ती वर्षों में क्रमशः 40.90 %, 43.15 % तथा 59.3% प्रदर्शित है। अध्ययन अवधि के दौरान अधिम पर आय की दर औसत 15.24 % रही।

लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक, मयूरदित, रायपुर

वर्ष 1994-95 में इस बैंक ने कारोबार प्रारंभ किया। पूर्ण सक्रिय व्यवसाय की ओर अग्रसर हुई।
बैंक ने अध्ययन अवधि के दौरान लगातार लाभ प्राप्त किया है।

वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 के दौरान सावधि/गैर सावधि अनुपात 4.24, 3.18, 9.08, 4.58 था। अध्ययन अवधि के दौरान कर्मचारी जमा अनुपात क्रमशः 29.14 लाख रुपये, 32.25
लाख रुपये, 54.35 लाख रुपये तथा 61 लाख रुपये रही। बिगत 4 वर्षों में जमा पूंजी अनुपात औसत 29.29 रहा जबकि, जमा का शुद्ध सम्पत्ति से अनुपात औसत 9.55 दर्ज किया गया। कुल अधिम तथा वातावरण के ऊंच प्रतिशत क्षेत्र के ऊंच अनुपाल क्रमशः 97%, 88%, 90% तथा 87% था जबकि कुल अधिम का प्राथमिक क्षेत्र से अनुपाल 3%, 3.9%, 9.7% एवं 13% रहा। अध्ययन अवधि के दौरान प्रति खाता राष्ट्रीय राशि 0.77 लाख रुपये 0.96 लाख रुपये, 0.65 लाख रुपये तथा 0.95 लाख रुपये थी। सावधि कर्मचारी अनुपाल बिगत 4 वर्षों में वाढ़े क्रम में प्रदर्शित है। सावधि पूंजी अनुपाल एवं सावधि शुद्ध सम्पत्ति अनुपाल वर्ष 2002-2003 को छोटकर वाढ़े क्रम में है।

कृप्या क्षेत्र में दिये गये ऊंच प्राथमिक क्षेत्र से अनुपाल 0.71, 0.59, 0.92 तथा 0.99 प्रदर्शित है। प्रति लेनदार सावधि अनुपाल अनुवर्ती वर्षों में 0.87, 1.05, 2.46, 5.40 दर्ज किया गया। प्रति लेनदार सावधि अनुपाल में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित है।

बिगत 4 वर्षों में बैंक की दसूली शक्ति अनुपाल क्रमशः 86.1%, 92.3 %, 87.45% तथा 89.91% प्रदर्शित है। जो कि बैंक की उदार एवं सुदृढ़ सावधि शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसी कारण बैंक की लाभदायकता में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित है। लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मयूरदित की गैर निम्नवर्त सम्पत्ति में निरंतर गिरावट प्रदर्शित है। वर्ष 2000-2001 में कालान्तरी राशि 83.15 लाख रुपये जो वर्ष 2003-2004 में 29% घटकर 59.64 लाख रुपये हो गई। लाभदायकता अनुपाल के विश्लेषण के लिए शुद्ध लाभ अनुपाल, समय प्रयास अनुपाल, औसत संचालन लाभ अनुपाल, औसत व्याज की आय से औसत संचालन अनुपाल, विनियोग से आय अनुपाल, लाभ प्रति कर्मचारी अनुपाल आगामित किया गया है।

शुद्ध लाभ अनुपाल क्रमशः 0.17, 0.27, 0.15 तथा 0.17 प्रदर्शित है, वर्ष 2001-2002 में यह अनुपाल अधिकार है। पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि 109.64% हुई है। वर्ष 2002-2003 को छोटकर अध्ययन अवधि के दौरान समय प्रयास में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2002-2003 में लाभ में थोड़ी कमी हुई है। औसत संचालन लाभ अनुपाल 153 दर्ज किया गया। व्याज की आय से संचालन आय
अनुपात औसत 16.78% थी। अध्ययन अवधि के दौरान लाभ प्रति कर्मचारी 0.46 लाख रुपये, 0.97 लाख रुपये, 0.95 लाख रुपये तथा 1.18 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रदर्शित है।

इंदिरा प्रियधर्मिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक मार्गदर्शित, रायपुर

अध्ययन अवधि के दौरान सावधान जरा राशि वर्ष 2002-2003 को छोड़कर उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित है। सावधान जरा राशि में 114% वृद्धि प्रदर्शित है जबकि गैर सावधान जरा में 140% वृद्धि प्रदर्शित है। सावधान-गैर सावधान जरा अनुपात लगातार घट रहा है, इसका कारण बैंक व्यापार में दर में कमी है। जरा साख अनुपात में उत्तरोत्तर कम हो रही है। स्पष्ट जरा राशि का औसत 50% साख के रूप में वितरित किया जा रहा है, जो कि बैंक की सुदृढ़ साख नीति को प्रदर्शित करती है। जरा पूंजी अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित है जबकि जरा शुद्ध सम्पत्ति अनुपात घट-बढ नहीं प्रदर्शित है।

कुल अधिम का औसत 44% प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान किया गया है, जबकि 56% परम्परागत क्षेत्र में ऋण प्रदान किया गया। साख पूंजी अनुपात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित है। साख कर्मचारी कर्मचारी अनुपात अध्ययन अवधि के दौरान 22.45 लाख रुपये, 23.12 लाख रुपये, 28.66 लाख रुपये, 32.55 लाख रुपये तथा 38.42 लाख रुपये दर्ज किया गया।

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-2004 के दौरान वसूली क्षमता अनुपात क्रमशः 71%, 70.96%, 71.26%, 74.23% तथा 74.25% थी। स्पष्ट है कि वसूली क्षमता अनुपात अध्ययन अवधि के दौरान 72% से अधिक दर्ज की गई, जो बैंक की कुशल वित्तीय नीति को प्रदर्शित करती है।

वर्ष 1999-2000 में हानि प्रदर्शित है। वर्ष 2002-2003 में लाभ की मात्रा नगण्य है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में लाभ की राशि 9.53 लाख रुपये, 7.30 लाख रुपये तथा 4.96 लाख रुपये थी। समंदर प्रत्याय अध्ययन अवधि के दौरान 0.48, 0.21, 0.16, 0.005, 0.09 रहा। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-2004 के दौरान संचालन अनुपात 0.96, 0.44, 0.42, 0.62 तथा 0.24 था। सम्पत्ति पर संचालन आय अनुपात 27.81% दर्ज किया गया। विनियोग से आय क्रमशः 25.9%, 34.1%, 47.2% तथा 31.7% तथा 121.8% रहा। अधिम पर आय का औसत 12% दर्ज किया गया। लाभ वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में लाभ प्रति कर्मचारी 0.45 लाख रुपये, 0.34 लाख रुपये, 0.001 लाख रुपये तथा 0.22 लाख रुपये रहा। वर्ष 1999-2000 में बैंक को हानि उठानी पड़ी।

(319)
दुर्ग राज्यांगाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक की कार्यशक्ति एवं उत्तराधिकार को मापने के लिए शाखा विस्तार दर जनर में बृद्धि दर, अधिम में बृद्धि दर, नसुली की प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया जाता है। कार्यशक्ति मापने के लिए दुर्ग राज्यांगाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जनर बृद्धि दर को निम्न तालिका के माध्यम से समझाया गया है -

दुर्ग राज्यांगाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जनर प्रति शाखा राशि में उत्तरोत्तर बृद्धि प्रदर्शित है। बैंक को प्राप्त जनर राशि में बृद्धि उसकी लाभदायकता प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। प्राप्त जनर राशि को भ्रमण एवं अधिम तथा विनियोग कर बैंक अधिक आय अर्जित करती है। सावधि जनर बैंक को एक निर्मल अवधि के लिए प्राप्त होती है। जबकि गैर सावधि जनर की रकम कभी भी निम्नाकार जा सकती है। अध्ययन अवधि के दौरान सावधि एवं गैर सावधि जनर का अनुपात लगातार घट रहा है, इसका कारण बैंक व्यापार दर में लगातार कमी होना है। जनर प्रति खाता की राशि अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 0.8, 0.9, 0.11, 0.11 तथा 0.12 लाख रूपये रही।


अधिम में बृद्धि दर के माध्यम से बैंक अपनी आय में बृद्धि करती है। इस तालिका में अधिम प्रति शाखा, गैर प्राथमिक क्षेत्र के रूप के साथ अनुपात, गैर प्राथमिक रूप का कुल अधिम के साथ अनुपात, प्राथमिक क्षेत्र के रूप का कुल अधिम के साथ अनुपात, प्रति खाता अधिम राशि, साख कर्मचारी अनुपात एवं साख पूंजी का विशेषण किया गया है। अधिम प्रति शाखा आध्ययन अवधि के दौरान 79.95 लाख रूपये, 82.34 लाख रूपये, 75.38 लाख रूपये, 83.95 लाख रूपये तथा 9.42 लाख रूपये दर्ज की गई। र्पम्प्ट है कि वर्ष 2002-2003 को छोटकर अधिम प्रति शाखा की राशि में उत्तरोत्तर बृद्धि हुई है।

गैर प्राथमिक क्षेत्र के रूप का प्राथमिक क्षेत्र के रूप से अनुपात 0.28, 0.33, 0.44, 0.54 तथा 0.52 लाख रूपये रहा। र्पम्प्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र के रूप का प्रतिशत क्रमशः 28, 33, 44, 54 तथा 52 प्रतिशत रहा।

(320)

साक्ष नूतजी अनुपात वर्ष 2001-2002, वर्ष 2002-2003, वर्ष 2003-2004 तथा वर्ष 2004-2005 में क्रमशः 2.73, 2.84 3.16 तथा 3.55 पाया गया। स्फट्ट है कि बंक ने समय राशि की ओरसत तीनवारी राशि अंक के रूप में प्रदान की।

प्रति खाता साक्ष राशि: 0.047, 0.108, 0.130, 0.155 तथा 0.184 विगत 5 वर्षों में दर्ज की गई। प्रति खाता साक्ष राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसी प्रकार प्रति कर्मचारी साक्ष राशि अध्ययन अवधि के दौरान 9.88 लाख रुपये, 13.88 लाख रुपये, 14.61 लाख रुपये, 14.18 लाख रुपये तथा 15.58 लाख रुपये प्रदर्शित की गई है।

लाभदायकता में वृद्धि ज्यादा करने के लिए शुद्ध लाभ, शुद्ध सम्पत्ति अनुपात, संचालन अनुपात, संचालन आय से ओसत सम्पत्ति का अनुपात, व्याज का ओसत सम्पत्ति से अनुपात प्राप्त व्याज का संचालन आय से अनुपात, विनियोग से आय का अनुपात, लाभ प्रति कर्मचारी अनुपात तथा लाभ प्रति शाखा अनुपात का विशेषण किया गया है।

शुद्ध लाभ का शुद्ध सम्पत्ति से अनुपात विगत 5 वर्षों में 60.27 %, 12.08 %, 13.30 %, 15.83 %, तथा 07.67 % दर्ज किया गया।

शुद्ध संचालन लाभ का पूंजी से अनुपात अध्ययन अवधि के दौरान क्रमशः 1.42, 0.06, 0.05, 0.07 तथा 0.04 % रहा।

संचालन आय से ओसत सम्पत्ति का अनुपात विगत 5 वर्षों में 0.07, 0.07, 0.07, 0.08 एवं 0.05 % रहा।

व्याज का ओसत सम्पत्ति से प्रतिलिपि 46.19, 55.65, 58.02, 57.85 तथा 60.22 % रहा। स्फट्ट है कि ओसत सम्पत्ति का 1/2 भाग व्याज आय के रूप में प्राप्त होता है।

बंक की आय का प्रमुख हिस्सा व्याज से प्राप्त होने वाली आय है। बंक की संचालन आय का 97.28%, 95.75%, 94.28%, 88.12% तथा 94.67% भाग व्याज के रूप में प्राप्त होता है। स्फट्ट है कि बंक को प्राप्त होने वाली व्याज से विगत 5 वर्षों में ओसत 94% है जबकि अन्य संचालन आय 06% है।

(321)

अध्ययन अवधि के दौरान शुद्ध लाभ प्रति कर्मचारी 0.20, 0.69, 0.79, 0.84, 0.36 लाख रुपये रही जबकि लाभ प्रति शाखा 1.65 लाख रुपये 4.14 लाख रुपये, 4.07 लाख रुपये, 4.99 लाख रुपये तथा 2.19 लाख रुपये रही।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के सर्वार्थ विकास में बैंकों ने उल्लेखनीय भूमिकाएँ निभायी है लेकिन इसी के साथ-साथ विभिन्न कारणों में बैंकों की लाभदायकता गिरी है। निजी लाभप्रदता का एक प्रमुख कारण बैंकों की कारार्तित सम्पत्तियों में भारी वृद्धि हो जाना है। गैर उत्तराधिकार सम्पत्तियाँ बैंकों के द्वारा वे ऋण हैं, जिनके मूलधन एवं उस पर देय व्याज की दातिया समय से नहीं हो पाती। मार्च 2004 के अंत में अनुसूचित व्यापारी बैंक की सकल गैर उत्तराधिकार सम्पत्तियों नाम 64787 करोड़ रुपये थी जबकि मार्च 2003 के अंत में वह 63817 करोड़ रुपये थी तथा मार्च 2002 के अंत में वह 70,000 करोड़ रुपये थी। 

इस प्रकार अनुसूचित व्यापारी बैंकों की गैर नियमित सम्पत्तियाँ उत्तराधिकार धर्म है। अनुसूचित बैंकों की शुद्ध गैर उत्तराधिकार सम्पत्तियाँ वर्ष 2002 में 24963 तथा 24617 करोड़ रुपये हो गई।

गैर उत्तराधिकार सम्पत्तियों के बढ़ने से बैंकों की समस्याएं दो रूप में बढ़ती हैं:

1. इस प्रकार के विलटित ऋणों पर बैंकों को होने वाली किसी भी आय के खातों में दर्ज नहीं किया जा सकता।

2. वर्षूल न किये जाने वाले ऋणों के एक रूप में बैंकों को नकदी का प्राप्तवाद पृथक से करना होता है।

बैंक के ऋण को तीन प्रकार की सम्पत्तियों में विभक्त किया जा सकता है:

1. मानक सम्पत्ति:

   जिस पर ऋण एवं व्याज प्राप्त होते रहते है।

2. सब स्टेंडर्ड सम्पत्तियाँ:

   बैंकों द्वारा विलटित ऋणों के मूलधनों तथा उस पर देय व्याज का पुनर्निर्जितता दो वर्षों तक नहीं किया जा सकता है।

(322)
3. संदेहास्पद परिसम्पत्तियों

ऐसे अरण जो दो वर्ष तक धरत मजबूत रहे हैं परन्तु जिसके बस्तूर होने को संभव नहीं है, संदेहास्पद सामर्थ्य कहलाती है।

4. क्षति परिसम्पत्तियों

ऐसी परिसम्पत्तियाँ जिसकी नहीं होने का रूप में कर ली गई है परन्तु उसे अपलेखित नहीं किया गया है उसे क्षति परिसम्पत्ति कहते हैं।

रिजव्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार सब स्टेंडर्ड सम्पत्तियों के लिए 10%, संदेहास्पद परिसम्पत्तियों के लिए 20%, तथा क्षति परिसम्पत्ति के लिए 100% प्राप्तव्य के रूप में रखना पड़ता है।

लक्षमी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर की औसत वसूली दर 84.86% रही, बैंक की कालान्तर राशि वर्ष 1997-98 से वर्ष 2001-2002 तक बढ़ते क्रम में है, उसके बाद वर्ष 2002-2003 तथा वर्ष 2003-2004 में कालान्तर राशि कम हुई है। बैंक के स्थापना के बाद लगातार लाभ की प्राप्ति होती रही है।

बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक बिलासपुर ने वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-2004 के दौरान सांदिग्ध सस्मति संचय, अवमानक सस्मति संचय तथा मानक सस्मति संचय हेतु प्राप्तव्य किया।

इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर के औसत वसूली का प्रतिशत वर्ष 1997-98 से वर्ष 2003-2004 के दौरान 74.79 प्रतिशत रहा, जिसे संतोषप्रद कहा जा सकता और
है। वसूली प्रतिशत का विस्तार 19.88 तथा विस्तार गुणांक 0.12 दर्ज किया गया। इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर में गैर निष्पादक सम्पत्तियों के लिए प्राप्तवान भी किया है। वर्ष 1999-2000 में दूसरत ऋण प्राप्तवान की राशि 13.7 लाख रुपये थी जो वर्ष 2001-2002 में 23.16 लाख रुपये हो गई। वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष 2002-2003 के दूसरत ऋण प्राप्तवान में 146% वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-2004 में वर्ष 2002-2003 की तुलना में 3.5% की मामूली वृद्धि प्रदर्शित है।

गैर उत्तराधिकारी सम्पत्तियों को नियत्रित कर बैंक अपनी लाभदायकता में वृद्धि कर सकती है।

प्राप्तिदायी महिला नागरिक सहकारी बैंक मिलाई में दूसरत ऋण का प्राप्तवान वर्ष 2001-2002, वर्ष 2002-2003, वर्ष तथा 2003-2004 में क्रमशः 2.76 लाख रुपये 08 लाख रुपये, तथा 15.00 लाख रुपये प्रदर्शित है। अध्ययन अवधि में बैंक को क्रमशः 7.84, 19.49 तथा 32.06 लाख रुपये का लाभ हुआ है। दूसरत ऋण की राशि को नियत्रित कर बैंक लाभदायकता में और वृद्धि आगामी वर्षों में कर सकती है।

ऐसे ऋण प्रकरण जो गैर निष्पादक सम्पत्ति की भारी में आकर गम्भीर प्रकृति के हो गये हैं, में ऋणी द्वारा ऋण की अदायगी एकमुक्त करने की स्थिति में ऋण समझौता पद्धति लागू किया जाना मान्य किया गया है। सरकारी न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कड़ाई से ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ है।

महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुद्दृत ने अनुरूपीक वर्षों में क्रमशः 98%, 72%, 86% तथा 75% ऋणों की वसूली की है। गैर निष्पादक सम्पत्तियों के लिए वर्ष 2000-2001, वर्ष 2001-2002, वर्ष 2002-2003 में क्रमशः 0.11 लाख रुपये, 0.63 लाख रुपये तथा 1.56 लाख रुपये का प्राप्तवान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबालिग के अनुसार बैंक ने वसूली दर को बढ़ाने का प्रयास किया है। वर्ष 2002-2003 में वसूली दर वर्ष 2001-2002 की तुलना में 11% कम है। इसका कारण कुछ सदस्यों के द्वारा ऋण के किशोरों का न जमा किया जाना है। इस बैंक की प्रगति के आधार पर पंजीयक, सहकारी संस्थाओं छत्तीसगढ़ ने इस बैंक को ‘‘A’’ वर्ग प्रदान किया है। शैक्षणिक अवस्था में इस बैंक के लिए यह गौरव का विषय है।

दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्रीय प्रामुख बैंक में कृषि क्षेत्र में वसूली क्षमता औसतन 32 प्रतिशत पाई गई, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में औसत वसूली का प्रतिशत 44 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-2005 के दौरान कुल वसूली का प्रतिशत 36% रहा। दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्रीय प्रामुख बैंक के मानक सम्पत्ति का कुल सम्पत्ति से प्रतिशत अनुवृत्ति वर्षों में क्रमशः 53%, 57%, 68%, 69% तथा 73% दर्ज किया गया। स्पष्ट है, बैंक ने मानक सम्पत्तियों के अनुपात में उत्तेजनात वृद्धि की है। बैंक की गैर निष्पादक सम्पत्तियों का कुल अंग्रेज से प्रतिशत घटते क्रम में प्रदर्शित है, जो बैंक की कृषि (324)
वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 के दौरान समझौते के बारे में दस्तरी गई रकम क्रमशः 10.9 लाख रुपये, 14.52 लाख रुपये, 129.60 लाख रुपये, 33.46 लाख रुपये, 32.36 लाख रुपये और 31.17 लाख रुपये रही। इस प्रकार बैंक ने अनावश्यक कानूनी कार्यावली से बचकर अर्घ्यों की राशि की वसूली की। बैंक द्वारा अर्घ्यों की वसूली के लिए उठाये गये कदम समाप्ति समारूह हैः

1. बैंक ने अर्घ्यों की वसूली हेतु स्थगित स्तर पर प्रयास किया गया है।

2. राजनीतिक योजना के तहत बैंक ने बेहतर परिणामों के लिए प्रयास को अधिक सहंग एवं भेदक बनाने हेतु 'समूह दृष्टिकोण' अपनाया है।

3. अभिनव रीति के अंतर्गत राजनीति अभियान/शिविर आयोजित किये गये जिसमें आस-पास की शाखाओं के लिए पदाधिकारियों ने समूह बनाकर एक साथ गाँव-गाँव एवं घर-घर का भ्रमण कर वसूली हेतु दस्तक दी।

4. बैंक के इतिहास में पहली बार बैंक अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक भी इन समूहों में शामिल हुए तथा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ भ्रमण कर उन्हें प्रेरित किया। गहर अभियान हेतु 'शिविर एवं अवकाश' दिवसों में भी वसूली शिविर आयोजित किये गये तथा दिन-रात अभियान चलाकर समय का पूरा-पूरा संपन्न किया।

5. शाखाओं में उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्राधिकार कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों को समस्याग्रस्त शाखाएं आवंटित की गई थी तथा उन्होंने संबंधित शाखाओं के क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ वसूली हेतु संवृत्त भ्रमण कराया।

6. पुराने एवं नवजदा मूलक खातों में वसूली गतिविधि करने हेतु बैंक द्वारा 'एक बारी समझौता योजना' के तहत वसूली हेतु प्रोत्साहन दिया गया।

7. अपलोधित खातों में वसूली एवं नकद वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैंक द्वारा राजनीति के साथ किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनेकों विषय परिस्थितियों के बावजूद बैंक ने वसूली में 8% का सुधार लाते हुए वर्ष 2003 के 42% के स्तर के वर्ष 2004 में 50% के स्तर पर पहुंच गया है और अपने आप को अधिक लाभ की स्थिति पर ले आया है।

(325)
सुझाव

छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यकाल महिला नागरिक सहकारी बैंकों का उद्देश्य निर्धार एवं कमजोर तबके की महिलाओं को आधिकारिक सहायता प्रदान कर उन्हें स्वाक्षरित बनाना है। यह बैंक अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा का विस्तार करना है। महिला नागरिक सहकारी बैंक सामान्यतः शहर में स्थित है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं ग्रामीण अंचल में स्थित है। शोध प्रबंध के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है, महिला नागरिक सहकारी बैंकों की लाभदायकता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की आधुनिक पद्धति को न अपनाये जाने के कारण तथा किसानों की ऋणप्राप्तता के कारण कृषि लाभदायक व्यवसाय नहीं बन पाया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ऋण वसूली क्षमता भी महिला नागरिक सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम है।

दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं महिला नागरिक सहकारी बैंकों की उत्पादकता को बढाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :-

• बैंकिंग कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए।

• प्राथमिक क्षेत्रों के ऋणों में वृद्धि की जानी चाहिए।

• बैंकों के स्थापना व्यय में कमी की जानी चाहिए।

• साख पद्धति को सरल बनाया जाना चाहिए।

• बैंक कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

• परस्परागत जमा समिश्र में परिवर्तन करके नई जमा समिश्र लागू करना चाहिए।

• उधार लागत तथा ऋण प्रबंधन की लागत को कम करना चाहिए।

• बैंक को राजनीतिक हस्तक्षेप से युक्त करना चाहिए।

• बैंकों के संचालक मण्डल में विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।

• बैंक-ग्राहक संबंध में सुधार होना चाहिए।

• बैंक की गैर निम्नाधिकृत सम्पत्ति को कम करने का प्रयास करना चाहिए।
• ऋण वसूली प्रक्रिया में बैंक के प्रबंधकों एवं नियंत्रकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

• बैंक की जिन शाखाओं में ऋण वसूली में श्रेणिता पाई गई हो, उसकी कार्यपद्धति का विशेषज्ञों के द्वारा विश्लेषण कर अन्य शाखाओं को भी उस कार्यविधि से प्रेरित करना चाहिए ताकि वसूली में वृद्धि हो सके।

• ऋण वसूली हेतु केंद्रों का आयोजन किया जाना चाहिए।

• केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक विपदाओं के कारण समय-समय पर ऋण माफी कार्यक्रम जनता हेतु अपनाये गए हैं। इस धारणा से ग्रामीणों के मन में यह बात घर कर जाती है कि सरकार आज भी इसी तरह ऋणों को माफ कर देनी। इतरादतन ऋण चूककर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस हेतु ग्रामीण केंद्र की शाखाओं में प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है और लोगों के मन से इस भांति को निकालने की आवश्यकता है क्योंकि ऋण माफी का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से उन पर ही पड़ता है।

• स्थानीय प्रभाव में व्यक्तियों एवं नेताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर ऋणियों को दिशाभित्र कर दिया जाता है और उनके मन में यह बात बैठ दी जाती है कि बैंक ऋण सरकारी धन है और इसे नहीं चुकाना है। इस हेतु बैंक को ऋण वसूली का प्रयास करना चाहिए तथा ग्रामीण जनता को यह समझाना चाहिए कि ऋण चुकाना उनका उत्तरदायित्व है और ऋण की राशि का उपयोग उद्देश्य अनुसूच ही करें।

• ऋणियों को इस बात का भी अनुभव कराया जाना चाहिए कि ऋण समय पर चुकाने से बैंक और समाज के साथें उनकी छवि अच्छी बनती है।

• नरसिंह कमेटि की सिफारिशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।